A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
66 / प्रा.पत्र / 2014	05.08.2014	18.10.2019

1. बद्री लाल आ. मूल्या उर्फ मूलचंद जाति धाकड़ निवासी ग्राम कैथूदा तहसील नैनवां।
2. गोपी लाल आ. जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम कैथूदा तहसील नैनवां।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनिवास आ. नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम कैथूदा तहसील नैनवां।
2. आवंटन परामर्शदात्री जरिये उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 28.10.1984 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री नवेद केसर, अभिभाषक।
अप्रार्थीगण की ओर से – एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थी रामनिवास आ. नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम कैथूदा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 39 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस प्रार्थी अभिभाषक सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटी द्वारा निराधार व असत्य तथ्य बताकर विवादित भूमि को अपने नाम आवंटन करवाया है। जो नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। आवंटी का आवंटन

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/2

समय से आज दिनांक तक उक्त आवंटित विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। पूर्व में प्रार्थीगण के पिता का कब्जा काश्त था। प्रार्थीगण के पिता की मृत्य के बाद निरन्तर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण ने 60X25 वर्गफुट का मकान बनाकर निवास कर रहा है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 28.10.1984 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 28.08.2018 को अप्रार्थी बावजूद सूचना नोटिस के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी रामनिवास आ. नारायण बैरवा को 28.10.1984 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नं. 39 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा ग्राम कैथूदा में आवंटन सलाहकार समिति के पूर्ण कोरम में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। वक्त आवंटन आवंटन आवेदन पत्र में रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आवंटी आवंटन के समय आवंटित भूमि पर अतिक्रमी था। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि आवंटित भूमि पर उसका कब्जा काश्त है तथा 60X25 वर्गफुट का मकान बना रखा है। प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त व मकान बना हुआ होने बाबत् कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किये है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित होता हो। आवंटन से पूर्व आवंटी का ही रिपोर्ट पटवारी में अतिक्रमी दर्ज है। अप्रार्थी को पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से आवंटन किया गया है। जिसमें कोई विधिक दोष होना प्रमाणित नहीं होता है। अप्रार्थी को आवंटन दिनांक 28.10.1984 को किया गया है जिसको लगभग 36 वर्ष हो चुके है, 36 वर्ष बाद 14(4) की कार्यवाही पेश किया जाना संदेह से परे नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 28.10.1984 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)